पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 309/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 04.10.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 04.10.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- जीयनपुर जनपद आजमगढ़: दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास –

अवगत कराना है कि दिनांक 03.10.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी चन्द्रजीत सिंह करिया सिंह पुत्र स्व0 रामप्रसाद सिंह निवासी ग्राम भदीड़ थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ द्वारा वादिनी की भतीजी के घर आया और उसके साथ जवरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 456/2024 धारा 376/506 भादवि व 5J(2)/4(2) लैंगिग अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 बनाम करिया सिंह पुत्र स्व0 रामप्रसाद सिंह निवासी भदीड थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 04.10.2024 को थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त चन्द्रजीत सिंह उर्फ करिया सिंह पुत्र स्व0 रामप्रसाद सिंह निवासी ग्राम भदीड़ थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र करीब 58 वर्ष को उसके घर के पास से समय करीब 08.00 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

02.थान- सरायमीर जनपद आजमगढ़: अवैध असलहा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण –

अवगत कराना है कि आज दिनांक 04.10.2024 को उ0नि0 देवचरण सिंह व उ0नि0 अखिलेश यादव मय हमराह द्वारा नरदह पुलिया से समय करीब 03.20 बजे एक अभियुक्त मोवस्सिर पुत्र मो0 जफर निवासी ग्राम चकिया इब्राहिमपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को एक देशी तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 522/24 धारा 3/7/25 शस्त्र अधि0 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

03.थाना- अहरौला जनपद आजमगढ़: किशोरी को भगा कर ले जाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का पूर्व का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 22/09/2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 21.9.2024 को विपक्षी विशाल यादव पुत्र कृपाशंकर यादव निवासी लेदौरा बनरपुरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष द्वारा वादिनी की लड़की को बहला फुसला कर भगा ले गया जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 405/2024 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम विशाल यादव पुत्र अज्ञात नि0 लेदौरा (बनरपुरा) थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 04.10.2024 को उ.नि. मय हमराह द्वारा अभियुक्त विशाल यादव पुत्र कृपाशंकर यादव निवासी लेदौरा बनरपुरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को पकड़ी तिराहा से समय करीब 10.30 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

04.थाना- फूलपुर जनपद आजमगढ़: दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 02.10.24 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना फूलपुर पर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनाँक 30/9/24 को करीब 3.00 PM बजे विपक्षी मोहम्मद सुफियान पुत्र स्व0 मोहम्मद एकराम निवासी ग्राम धमउर थाना खुटहन जनपद जौनपुर द्वारा वादिनी की पुत्री उम्र लगभग 16 वर्ष करीब 4 महीने को उसके ननिहाल से बहला फुसलाकर भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 500/24 धारा 137(2), 87 बीएनएस पंजीकृत किया गया। अपहृता की बरामदगी व हाईस्कूल की मार्कशीट के आधार पर उम्र करीब 18 वर्ष 09 माह है तथा बयान 180/183 बीएनएसएस के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 137(2) बीएनएस का लोप किया गया है तथा बयान के आधार पर धारा 64/316(2)/351(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 04.10.2024 को प्रभारी निरीक्षक मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त को मोहम्मद सुफियान पुत्र स्व0 मोहम्मद एकराम निवासी ग्राम धमउर थाना खुटहन जनपद जौनपुर को अम्बारी चौराहा फूलपुर से समय करीब 09.15 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।